संख्या-56/2459/41-2014-32 यो0/13

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर 2014

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में भगवान अवधूत राम स्थल पर सुलभ प्रसाधन एवं रैन बसेरा के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1842/6-1-1(वाराणसी)/यो0/13, दिनांक 04-12-2013 तथा पत्र संख्या-369/6-1-1/वाराणसी/2013-14 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त् के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में भगवान अवधूत राम स्थल पर सुलभ प्रसाधन एवं रैन बसेरा के निर्माण हेतु सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-64.01 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-11.87 (रूपये ग्यारह लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र संख्या-5 पी0एन0सी0 (17) 2013, दि0-03.06.2014 के द्वारा यह योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृति पत्र में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

6. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पडे।

7. परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

8. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

<u>संख्या- 56/2459(1)/41-2014 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
9- सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन, कपूरथला, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in